

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए जब स्थान सविरोध हो)
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1961 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

हनुमानगढ (008) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन ।

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में मैं घोषणा करता हूँ कि श्री विनोद कुमार पुत्र श्री आत्मा राम, ग्राम पोस्ट लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ, इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त/ राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खडे किए गए ।)

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए है ।

स्थान:-हनुमानगढ

दिनांक:- 11.12.2018



(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)

रिटर्निंग अधिकारी

हनुमानगढ (008) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
(उपलण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ)

Conduct of Elections Rules 1961
(Statutory Rules and Order)
FORM 21 C
(See Rules 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the people Act, 1951.


Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan** State from **Hanumangarh** (008) Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the people Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that VINOD KUMAR S/O Sh. AATMA RAM, VPO-LILAWALI TEHSIL SANGRIA DISTT. HANUMANGARH (sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS name of the recognized/registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place:-Hanumangarh

Date:-11.12.2018




(Surendra Singh Purohit)
Returning Officer
Hanumangarh (08) Assembly Constituency
(Sub Divisional Magistrate, Hanumangarh)